

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र. प. 2(13) III-A/Elec./BFC/2013-14/ 2640

जयपुर, दिनांक : 12/3/14

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : 1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान
2. सहायक लेखाधिकारी एवं
आहरण व वितरण अधिकारी
मुख्यालय जयपुर।

विषय :- बजट मद 2015- के अन्तर्गत आधिक्य/बचत विवरण भिजवाने
बाबत।

महोदय,

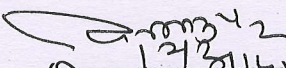
उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट मद मद 2015-102 के अन्तर्गत समस्त विस्तृत मदों एवं उप शीर्षो 103, 104, 105, 106 एवं 108 के संबंध में अन्तरिम आधिक्य / बचत विवरण दिनांक 15.03.2014 तक हुए व्यय-एवं शेष दायित्व जो 31.03.2014 तक निस्तारित कर दिये जावेंगे को सम्मिलित करते हुए निम्न प्रारूप में दिनांक 20.03.2014 तक पृथक-पृथक मदवार आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।

क्र.स.	मद का नाम	आवंटित राशि	15.03.2014 तक वास्तविक व्यय	शेष दायित्व जो 31.03.2014 तक निस्तारित होंगे	योग (4+5)	आधिक्य/बचत (3-6)
1	2	3	4	5	6	7

नोट :-	1	उक्त विवरण उप शीर्ष 102, 103, 105, 106 एवं 108 के अन्तर्गत पृथक-पृथक आवश्यक रूप से 20-03-14 तक प्रेषित कराना सुनिश्चित करें उसके पश्चात समर्पित राशि स्वीकार नहीं की जावेगी जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।
	2	अन्तिम आधिक्य बचत दिनांक 31-03-14 को आवश्यक रूप से ईमेल (fa.election@gmail.com) एवं फैक्स से प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करावें जिसके अभाव में त्रुटि रहने का उत्तरदायित्व आपका होगा।
	3	आधिक्य/बचत रहने के कारण भी अंकित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

भवदीय,


(विमल कुमार गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार,
राजस्थान, जयपुर।